सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-1278/DL/3/2023-APCR

Date : 22/05/2024

To,

Shri Sanjay Arora
Commissioner of Police,
Delhi Police,
Police Headquarters Jai Singh Road,
Delhi, Delhi 110001
Email Id: cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in

Sub: Representation of Ms. Romi Meemroth Complaining against accused/SI Manoj Kumar posted at P.S. Mundka, outer dist. Delhi, for torture and discrimination being committed on working women posted in Delhi Police.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the Sitting held on 10.05.2024 under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for necessary action. It is requested that compliance report may be submitted to this Commission within 15 days positively.

Encl: as above

Yours faithfully

(एच.आर मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

Copy to:-

Ms. Romi Meemroth
H.No.I-23,Top Floor
Lajpat Nagar Part-III,
New Delhi-110024.

Copy for information to:

(1) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(2) NIC for uploading

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NCST/ATY-1278/DL/3/2023-APCR

श्री मनोज कुमार, एस.आई., दिल्ली पुलिस द्वारा श्रीमती रोमी मीमरोठ, H.No.I-23, टॉप फ्लोर, लाजपत नगर पार्ट-III, नई दिल्ली, को परेशान करने व उन्हें झूठे केस में फँसाने के मामले में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 10.05.2024 को आयोग मे हुई सिटिंग का कार्यवृत।

सिटिंग की तिथि : 10.05.2024 - 02:00 P.M.
सिटिंग मे उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

आयोग को सुश्री रोमी मीमरोठ का दिनांक- 17.04.2023 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने पीएस में तैनात एसआई मनोज कुमार के खिलाफ परेशान करने और झूथ्त केस में फँसाने की शिकायत की है। मुंडका, बाहरी जिला, दिल्ली पुलिस में तैनात कामकाजी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और भेदभाव को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि थाने में तैनात एसआई मनोज कुमार, मुंडका दिल्ली पुलिस में नियुक्त कामकाजी महिलाओं पर अत्याचार और भेदभाव करने के साथ-साथ उनका यौन शोषण कर रहा था।

2. श्रीमती रोमी मीमरोठ ने आरोप लगाया कि वह दिल्ली पुलिस की पूर्व डब्लूएसआई हैं। 29.07.2021 को दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल ने सब-इंस्पेक्टर मनोज कुमार के खिलाफ जबरन बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई। इस संबंध में, पीएस मालवीय नगर, नई दिल्ली में एक एफआईआर संख्या 467/2021 यू/एस 376/506 आईपीसी दर्ज की गई थी। इस मामले की जाँच अधिकारी श्रीमती रोमी मीमरोठ थी और घटना स्थल से हर संभावित साक्ष्य/प्रदर्शन एकत्र किए गए और संबंधित प्रयोगशालाओं और शाखाओं को भेजे गए। सकारात्मक डीएनए रिपोर्ट प्राप्त हुई। मामले का चालान कोर्ट में दाखिल किया गया है और आईपीसी की धारा 376 (2m)/376(2k)/506 के तहत आरोप तय किए गए थे। अभियुक्त/एसआई मनोज कुमार की गिरफ्तारी होनी तय थी। लेकिन ऊंचे संबंधों के चलते वह गिरफ्तारी से बचता रहा। आरोपी को पता चला और एहसास हुआ कि रेप केस की जांच याचिकाकर्ता श्रीमती रोमी मीमरोठ से कराई गई थी तो वह उनसे नाराज हो गया और उसे झूठे सीबीआई केस में फंसा दिया। अब वह उसके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करा रहा है।

3. प्रकरण में आयोग द्वारा 15 दिन की अवधि मे रिपोर्ट मंगाने के किए पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस को दिनांक 28/06/2023 को नोटिस भेजा गया था जिसके संबंध में दिल्ली पुलिस से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था।

Contd...P/2

5. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 10.05.2024 को पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस के साथ आयोग मे सुनवाई/ सिटिंग तय की गयी।

6. प्रकरण की सुनवाई में श्री जिम्मी चिराम, पुलिस उपायुक्त, बाहरी जिला, पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस की ओर से उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुईं। प्रकरण मे विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें डी.सी.पी. बाहरी जिला, दिल्ली पुलिस ने प्रकरण से संबन्धित तथ्य प्रस्तुत किए।

7. प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाए की जाती हैं:-

- दिल्ली पुलिस द्वारा आयोग के नोटिस की अवहेलना करने पर संबन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्य में लापरवाही मानते हुये विभागीय जांच की जाए।
- इस मामले की सम्पूर्ण रिपोर्ट आयोग को 7 दिनों में भेजी जाए।
- शिकायतकर्ता को षड्यंत्रपूर्वक/जानबूझ कर फंसाया और सेवा से हटाया तो नहीं गया है, इसकी जांच की जाए और रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए।
- भविष्य में आयोग के सभी नोटिसों का जवाब समय पर दिया जाए।

प्रकरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट/अनुपालन रिपोर्ट 15 दिनों की अवधि मे आयोग को प्रस्तुत की जाए।

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/ATY-1278/DL/3/2023-APCR

List of participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Smt. Miranda Ingudam
Director

Shri R.K. Dubey
Deputy Director

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Officers from O/o Commissioner of Police, Delhi Police

Shri Jimmi Chiram,
DCP, Out District, Delhi

Petitioner

NIL